



मातृशक्ति समर्पण और जज्बे के साथ नए प्रतिमान गढ़ रही है: धर्मेंद्र सिंह

शकुन टाइम्स संवाददाता



महाराजगंज। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष संजय पांडेय की अध्यक्षता में महिला मोर्चा के तत्वाधान में महिला दिवस का आयोजन किया गया। पंडित दीन दयाल उपाध्याय डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य डॉ धर्मेंद्र सिंह, जिला के प्रधारी राम जिलाकार मौर्चा, परियारा विधायक जन्मान्नी सिंह सदस्य विधायक के जय मंगल कर्मजीया विधायक वृद्धि प्रियाणी ने कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य डॉ धर्मेंद्र सिंह ने कार्यक्रम के संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भर में आज महिला दिवस मनाया जा रहा है। हर साल


महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने और समाज में उन्हें सामान्य का अधिकार दिलाने के मकसद से यह दिन 8 मार्च को

मनाया जाता है। यह दिन उनकी मेहनत, समर्पण, संघर्ष और सम्मान का प्रतीक है। एक महिला अपने जीवन में कई सारे उतार-चढ़ावों से

गुजरना पड़ता है। बावजूद इसके हर मुश्किलों को पार कर वह अपनी सभी जिम्मेदारियों के बखूबी निभाती है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी मातृशक्ति माता एवं बहनों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए, कहा मातृशक्ति आज समर्पण और जज्बे के साथ सेवा के नये प्रतिमान गढ़ रही है। देश की ताकत एवं समाज की शक्ति हैं आज मातृशक्ति, आज हमारी माताएं और बहनें धर परिवार, खेल, व्यापार, जिका, अंतरिक्ष एवं हर क्षेत्र में पूरी लगन और मेहनत से सफलता के शिखर तक पहुंची है।

इस अवसर पर अधिकारों वंदना तिवारी, फरीदा इम, रमाकांति तिवारी, जिला महामंत्री और प्रकाश पटेल बबूल यादव, शुभा सिंह, जिला मंत्री गौतम तिवारी सहित तमाम महिलाएं मौजूद रही हैं।

सेवानिवृत्त शिक्षक मुरलीधर यादव का हुआ निधन



शकुन टाइम्स संवाददाता

प्रधान प्रतिनिधि छेदी जयसवाल, अजय सिंह सैन्यवाल, धर्मनाथ यादव, गुड़ यादव, राहूरा सिंह, दुर्गेश सहानी, श्यामनाथ यादव, मनूर यादव, अमरेन्द्र यादव, सुरेन्द्र सहानी, अब्दूल वाहाब अंसारी, राम उजागिर यादव, रामभवन गोड़, धर्मेंद्र गोड़, दीपू जयसवाल, दुर्बल यादव, अनिल यादव, रामपाल जयसवाल, शैलेन्द्र यादव आदि लोगों ने शोक जताया।



सम्पादकीय

અંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ: કયા શહરી બસ્તિયોં તક પહુંચ પાએના મહિલા સર્વિસ્કારણ

साल 2025 का अंतरराष्ट्रीय महाला दिवस तजा से कारबाई कर का थीम के साथ हमें याद दिलाता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में तत्काल और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। शहरी बस्तियों में रहने वाली महिलाएं अपने अधिकारों, सुरक्षा और सपनों के लिए संघर्षरत हैं, लेकिन वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति और समाज एवं परिवार की बेख़ी उनके जीवन को ज्यादा कठिन बना देती है। बड़े महानगरों सहित मेट्रो सिटी के रूप में विस्तार पा चुकी शहरी बस्तियों में रहने वाली महिलाओं की जिंदगी की सच्चाई को अगर करीब से देखा जाए, तो यह साफहो जाता है कि उनकी समस्याएं केवल गरीबी और संसाधनों की कमी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह असमानता, भेदभाव, पलायन और सामाजिक एवं राजनीतिक उपेक्षा की गहरी जड़ों से भी जुड़ी हुई हैं। ऐसी स्थिति में, साल 2025 का अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस शेज़ी से कारबाई करें की थीम के साथ हमें याद दिलाता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में तत्काल और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। शहरी बस्तियों की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षत्रों से पलायन करके आती है। छोटे शहरों एवं राज्यों की राजधानियों की कमोबेश यही स्थिति है। महानगरों में पलायन गांवों के साथ-साथ छोटे शहरों से भी होता है। पिछले कुछ दशकों में ग्रामीण एवं छोटे शहरों में रोजगार के अभाव ने पलायन को तेज किया है। गांवों में आज भी छुआछूत है, जिसकी वजह से दलित समुदाय पलायन कर शहरी बस्तियों में आ रहा है। इसलिए बस्तियों की कुल आबादी में एक बड़ा हिस्सा दलित एवं आदिवासी समुदायों का होता है। कुछ परिवार अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए शहरों का रुख करते हैं। यह सिलसिला दशकों से चल रहा है, जिसकी वजह से शहरी बस्तियों में रहने वाले परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी के साथ-साथ हाल के बर्बादों में आए परिवार भी हैं। इन बस्तियों में रह रहे बहुत कम परिवार हैं, जो अपनी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को बेहतर कर कॉलोनियों की तरफ चले गए। अधिकांश परिवार इन्हीं बस्तियों में स्थायी रूप से रहने लगे हैं। इन बस्तियों में पानी की किलत, शौचालयों की कमी, सुरक्षित सार्वजनिक स्थानों का अभाव, स्वास्थ्य एवं शिक्षा का अभाव जैसे कई गंभीर मुद्दे हैं। महिलाएं इन समस्याओं से सबसे ज्यादा जूझ रही हैं। इनकी वजह से उनके जीवन पर नकारात्मक असर पड़ता है। शहरी बस्तियों में हाल ही में पलायन करके आए परिवारों और वर्षों से रहने वाले परिवारों के बीच भी अक्सर सामाजिक और सांस्कृतिक संघर्ष देखने को मिलता है। विभिन्न राज्यों और भाषाएँ पृष्ठभूमियों से आने वाले परिवारों के बीच संसाधनों को लेकर टकराव, परंपराओं और जीवनशैली में मतभेद की वजह से अक्सर असहमति और तनाव उत्पन्न होते हैं।

इस सधेव का सबसे अधिक बाज़ महिलाओं का उठाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें ही परिवारिक समायोजन और सामाजिक मेलजोल को बनाए रखने की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। कई बार नई बस्तियों में हाल ही में आई महिलाएं स्थानीय भाषा न जानें के कारण सरकारी योजनाओं और समुदाय आधारित सहायता समूहों तक नहीं पहुंच पातीं, जिससे वे और भी ज्यादा हाशिए पर चली जाती हैं। आर्थिक संकटों से जूझ रहे इन परिवारों की महिलाएं घरेलू कामगार, सफाई कर्मचारी, छोटे-मोटे कारीगर या असंगठित क्षेत्र की मजदूर होती हैं, जो घर एवं बाहर दोनों ही जगहों पर समस्याओं से जूझ रही हैं। कई महिलाएं घर से दूर काम करने जाती हैं, लेकिन उनके लिए सावधानिक परिवहन में सुरक्षा एक बड़ी चिंता का विषय बनी रहती है। कार्यस्थल पर महिलाओं को अक्सर असभ्य व्यवहार का सामना करना पड़ता है। रात के समय इन बस्तियों की गलियां अंधेरे में डूबी रहती हैं, जिससे महिलाओं के लिए घर लौटना खतरे से खाली नहीं होता। शहरी विस्थापन के कारण शहर से दूर फेंक दिए जाने के कारण यह संकट और गहरा हो जाता है। महिलाओं के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर रोजगार से जुड़े कई प्रशिक्षण दिए जाते हैं, लेकिन उसका कोई पर्याय उन्हें नहीं मिल पाता। एक तो बस्ती में स्वरोजगार के अवसर सीमित हैं, दूसरी बात यह कि वे कहीं अन्य जगह जाकर स्वरोजगार कर पाने में असमर्थ होती हैं। बस्ती की ज्यादातर महिलाएं अक्सर अपने स्वास्थ्य और पोषण की अनदेखी कर देती हैं। अधिकांश बस्तियों में सुबह चार बजे उठकर पानी भरने के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना महिलाओं की दिनचर्या का हिस्सा है। उनके पास इतना समय ही नहीं बचता कि वे अपने लिए कुछ सोच सकें। बस्ती में स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित हैं, और जब कभी वे बीमार पड़ती हैं, तो सरकारी अस्पतालों की भीड़ और लापरवाही उनके लिए एक नई समस्या बन जाती है। शहरी बस्तियों में महिलाओं के लिए शिक्षा भी एक बड़ी चुनौती है। कई लड़कियां किशोरावस्था में ही स्कूल छोड़ देती हैं क्योंकि उनके घरवालों को लगता है कि पढ़ाई की बजाय घर का काम करना और छोटे भाई-बहनों की देखभाल करना ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही बालिकाओं की मुश्किल सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। कई बालिकाएं घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कम उम्र से ही मां के साथ काम पर जाने लगती हैं। इसके अलावा, घरेलू हिंसा इन बस्तियों की महिलाओं के लिए एक और गंभीर समस्या है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराना आसान नहीं होता और अगर कोई महिला हिम्मत करके शिकायत कर भी देती है, तो समाज और परिवार का दबाव उसे वापस उसी प्रताड़ना भरी जिंदगी में धकेल देता है। कई महिलाओं को यह भी नहीं पता होता कि उनके लिए कानूनी मदद और सहायता समूह उपलब्ध हैं।

बुध के जाते ही सेबी में सफाई अभियान शुरू हो

जगदोश रत्ननाम

तीन वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति के बाद माधबी पुरी बुच को सेबी से बाहर निकलने की अनुमति दी गयी है। यह स्वागत योग्य निर्णय है। तीन साल पूर्ण होने के बाद कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है और ऐसा अक्सर हुआ है लेकिन बुच के मामले में समस्याओं के पिटारे पर ढक्कन लगाने का यह एक शालीन तरीका था। यह अलग बात है कि बुच की विदाई का मामला शेयर लिस्टिंग में कथित निष्क्रियता तथा मिलीभगत के एक और विवाद में उलझा हुआ था जो उनके कार्यभार संभालने से पहले का था। उस विवाद से विचलित हुए बिना यह कहा जा सकता है कि भारत की प्रतिभूति बाजार पर निगरानी रखने वाली संस्था की पहली महिला प्रमुख विवाद के बादलों में घिरे होने के साथ सेवानिवृत्त हो रही हैं, जिन्होंने सेबी के भीतर से आलोचना को आमंत्रित किया और जिनके नेतृत्व वाली संस्था की विश्वसनीयता एवं प्रतिष्ठा के बारे में बहुत सारे सवाल छोड़ गई। सेबी तभी काम कर सकता है जब उसे स्वतंत्रता और ईमानदारी के साथ काम करने दिया जाए। इस भरोसे के बिना भारत के प्रतिभूति बाजारों के गर्म और अक्सर अस्थिर स्थान को नियंत्रित करने के इसके प्रयासों में ढूँढ़ विश्वास नहीं हो सकता। इस भरोसे का यह नुकसान इस कार्यकाल की सबसे बड़ी छाप बना रहेगा। जब पहली बार हिंडनबर्ग के आरोपों का झटका सेबी और बुच को लगा तो इस तूफन में फंसी माधबी और उनके पति धबल बुच ने अपनी शैक्षणिक योग्यता दिखाकर औपचारिक स्पष्टीकरण जारी किया था।

इतने बताना नहीं कि किसी व्यक्ति को जीवन में अदानी अनुपालन का निम्न मार्ग सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के उच्च मार्ग से बहुत अलग है। भले ही बुच के मामले में बचाव को वैध माना जाए लेकिन बुच-अदानी के

इसमें बताया गया था कि
माध्यमी आईआईएम अहमदाबाद
की पूर्व छात्र हैं जबकि धवल
आईआईटी दिल्ली से सातक हैं।
जिन आरोपों के बारे में उक्त
स्पष्टीकरण जारी किया गया,
उन आरोपों के संदर्भ में बुच
दम्पति की पढ़ाई-लिखाई को
जनता कितना प्रतिष्ठापूर्ण
मानती है, यह एक महत्वपूर्ण
बात है। हालांकि इसे देखने के
कई तरीके हैं। स्पष्ट रूप से
हाईलाइट की गई डिग्री जनता
से यह पूछने के लिए है कि
बताइये कि हमारे जैसे उच्च
विद्या विभूषित व्यक्ति को देखने
के बाद आपको क्याँकर लगता
है कि हमने कुछ गलत किया
है? क्या आप जानते हैं कि हम
किस वर्ग से आते हैं?...
वौरह। भारत में कई किस्से-
कहानियां द्वादशएप के जरिए
बेचा जाता है। हाल के वर्षों में
इस बात का बाजार किया गया
है कि हमारी अर्द्धवास्था इस
समय राजनीतिक व्यवस्था के
शीर्ष पर निर्मित कई रंगों,
स्वादों और संस्करणों के लिए
गर्जना कर रही है।

1

उलझाव का भूलकर उनका बचाव सबसे अच्छा यह रहा है कि तकनीकी अनुपालन कैसे हासिल किया गया और उपयुक्त बक्से को कैसे टिक किया गया। सच्चाई जानने के लिए नए सिरे से जांच की आवश्यकता है जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक में बुच की पूर्व सहयोगी चंदा कोचर के मामले में वास्तव में जरूरी थी। चंदा कोचर को पहले आवश्यक रूप) से उनका सुपर-रचनायित का प्रतावबंबत करेंगे। यह सच है कि कुछ भत्ता दिया जाना चाहिए परं यह भी उतना ही सच है कि शक्ति और कनेक्शन नए अवसर बनाते हैं जो जानबूझ कर ओढ़े गए अंधेपन के साथ अच्छी तरह से काम करते हैं। इसके अलावा एक लोकतांत्रिक राष्ट्र को यह भी पूछना चाहिए कि ऐसी पृष्ठभूमि क्या विशिष्ट योग्यता या



कायत अनुपालन के आवास पर क्लान एंट्री दा गेंद या आर पिर भारत के उस समय के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक में गड़बड़ी का खुलासा न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्ण ने किया था जिसके बाद कोचर को बखार्स्ट कर दिया गया था। बुच के मामले में इसी तरह की जांच के बिना, कैसे और क्यों रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड को सेबी द्वारा आक्रामक रूप से बढ़ावा दिया गया, कैसे बुच के पति के नियोक्ता ब्लैकस्टोन ने इनसे लाभ कमाया और क्यों सेबी ने अदानी समूह की जांच नहीं की? यह सब अनुपालन की रिपोर्ट में दबकर रह जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि बुच द्वारा प्रवर्तित आईआईटी के माध्यम से आवास बाजारों के वित्तीयकरण की बांधनीयता और समझदारी पर अन्य प्रश्न पूछे जाएं तथा यह भी कि वे संपत्ति बाजार और आम नागरिकों को कैसे प्रभावित करते हैं। सरकार को उम्मीद हो सकती है कि बुच की सेवानीवृत्ति से ये सारे मामले शांत हो जाएंगे लेकिन इस मामले में किसी न किसी दिन पूरी जांच की आवश्यकता होगी। दूसरा यह तर्क है कि निजी क्षेत्र के खिलाड़ी जिन्होंने उच्च वेतन, कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना (इम्प्लाई स्टॉक ऑनरेशिप प्लॉन- ईएसओपी) के तहत कंपनी अपने कर्मचारियों को कंपनी के शेयर देती है। इससे कर्मचारियों को कंपनी में हिस्सेदारी मिलती है और कंपनी से मिले बोनस पर जीवन व्यतीत किया है, निश्चित रूप से उच्च आय वाले व्यक्ति होंगे तथा उनके निवेश एवं होलिंडग और जीवन शैली नियमिक अनुमति लाता है? इस सवाल का भवित में बहुत प्रवृत्ति के खिलाफ तौलना होगा जो सत्ता के लीवर को अति-धनी और जुड़े हुए लोगों को सौंपने के लिए है, लगभग एक नियन्त्रित क्लब गठित करता है जो एक ही थैली के चट्टे-बट्टे है। यह नए भारत में प्रतिभा के आधार पर काम करने वाली योग्यता (मेरिटऑक्सी) के बजाय एक धनिकतंत्र (प्लटोक्सी) है। इन तथाकथित स्टार कलाकारों की सहीमत और उनके योगदान का वास्तविक मूल्यांकन अपने आप में एक अलग चर्चा का विषय है। दुनिया को उनकी स्व-घोषित प्रतिभा तथा अशिष्ट विचारों या उच्च उपलब्धि के उनके मार्करों को खोरीदने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात यह है कि सेबी का कोई भी अध्यक्ष भारत की आज की वास्तविकता में अदानी जैसे शक्ति केंद्र के खिलाफ कार्रवाई करने की बात तो दूर उसके बारे में बात भी नहीं कर सकता वास्तव में यह आज की राजनीतिक सचाई है और संस्थानों के अपमानों के रूप में इसका टोल भरा जा रहा है। लेकिन यहाँ तो चेयर पर ही यह खेल खेलने का आरोप लगाया जा रहा था। व्यावसायिकता की उच्च गुणवत्ता के बजाय यह कनेक्शन और कवर-अप के लिए उच्च अंक मांग रहा है कृछु चुनिंदा लोगों के लिए नियामक और विनियमित के बीच की दूरी मिट गई है। सवाल उठता है कि वास्तव में ये नियुक्तियां कौन करता है वे ये नियुक्तियां संस्थान को कैसे मजबूत करती हैं।

आभियांत्रिक का हफ

अदालत को याद दिलाना पड़ा है कि संविधान प्रदत्त अधिव्यक्ति कर्त्ता आजादी अनिवार्य हक्क है। यह भी कि हमारी पुलिस अब तक स्वतंत्र अधिव्यक्ति का मर्म नहीं समझी है और अकसर राजनीतिक दबाव में कार्यवाही कर देती है। कमोबेश यथी स्थिति सत्ता पक्ष की भी है कि वे अपनी आलोचना पर तल्ख होकर अधिव्यक्ति की आजादी का अतिक्रमण करने पर उतारू हो जाता है। ऐसे मामलों में पुलिस का भी दायित्व बनता है कि अधिव्यक्ति की सही व्याख्या करे। उसके बाद ही किसी तरह कर्त्ता कार्रवाई करे। निश्चय ही ऐसे मामलों में बेहद संवेदनशीलता की जरूरत होती है। वहीं दूसरी ओर हाल के दिनों में किसी राजनेता के बयान, फ़िल्मों सहित अधिव्यक्ति पर भावनाएं आहत होने के आरोप लगाने का फैशन ही बन गया है। दरअसल, कला व साहित्य में अधिव्यक्ति बिंबों व प्रतीकों के माध्यम से की जाती है। जिसकी सही व्याख्या करके आनन्-फनन में मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। भारतीय समाज की तो सदियों से यह खूबसूरी ही रही है कि सभी विचारों व तर्कों का सम्मान किया जाता रहा है लेकिन हाल के सोशल मीडिया के दौर में कथित भावना आहत होने वे आरोप लगाने का रिवाज सा बन गया है। इसके विपरीत सत्ता पक्ष का सुविधाजनक लगाने वाले तल्ख विचारों की अधिव्यक्ति का नोटिस नहीं लिया जाता। विडंबना यह है कि पुलिस भी सत्ता पक्ष के दबाव के चलाने द्वारा न्यायसंगत कार्रवाई नहीं कर पाती। यही वजह है कि पिछले दिनों सांस्कृतिक इमरान प्रतापगढ़ी की कविता पर प्राथमिकी दर्ज होने तथा अश्लील

मार्गदर्शक टिप्पणियां की। इसमें प्रतापगढ़ी की कविता का मर्म समझे फिर उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की कड़ी आलोचना की गई। साथ ही शीर्ष अदालत ने सरकारी दिशा-निर्देशों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति की गरिमा ध्यान रखने को भी कहा, जिससे किसी के साथ अन्याय न हो सके। निस्संदेह, अदालत ने स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लोकतांत्रिक व संवैधानिक मूल्यों के रूप में अपरिहर्य होने का जिक्र करते हुए दोटक शब्दों में कहा कि कम से कम आजादी के सात दशक बाद पुलिस को इसकी गरिमा अहसास होना चाहिए था।

कोर्ट ने नसीहत दी कि प्रतापगढ़ी के खिलाफ मामला दर्ज करने पहले पुलिस को कविता पढ़नी चाहिए थी और उसका वास्तविक मर्म समझना चाहिए था। कविता इसाफ़ और प्रेम को अभिव्यक्त करती थी, न हिंसा-दुर्भावना को। कोर्ट ने ऐसी ही टिप्पणी डिजिटल प्लेटफर्म के कार्यक्रम में भद्रेस-अश्लील शब्दावली का प्रयोग करने वाले रण इलाहाबादिया को पिर से कार्यक्रम की अनुमति देते वक्त की है। कोर्ट ने चेताया कि अभिव्यक्ति की आजादी के मायने अश्लील अभिव्यक्ति के मायने नहीं है। कोर्ट ने इलाहाबादिया को सख्त लहजे में चेताया कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर वे नैतिकता व अश्लीलता की सीमाओं के अतिक्रम करने का दुस्साहस करापि न करें। अदालत ने सोशल मीडिया मंचों पर दुरुपयोग पर गहरी चिंता जाताते हुए कहा कि सरकार इस बाबत दिलचस्पी निर्देश जारी करे ताकि सेंसर करने तथा मापदंडों का फर्क स्पष्ट हो सके।

लगाया जा सके। निस्संदेह, आजकल जब सोशल मीडिया के कतिपय मंचों पर असामाजिक व्यवहार मर्यादाओं की सीमा लांघना आम होता जा रहा है, इनका गाइडलाइन्स के जरिये नियमन जरूरी हो जाता है। लेकिन पुलिस-प्रशासन को जलदबाजी में कार्रवाई करने के बजाय संवेदनशील ढंग से चीजों का अवलोकन करना चाहिए। यह जानते हुए कि किसी भी लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति एक अपरिहार्य शर्त है। वैसे ही अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी पहली बार नहीं आई। स्वतंत्र अभिव्यक्ति को लेकर कई बार मध्यन भी होते हैं। लेकिन पुलिस-प्रशासन की कार्रवाई में आवश्यक संजीदगी नजर नहीं आती। यहीं वजह है कि अदालतों में भावनाओं के आहत होने वाले कथित मामले लगातार आते ही रहते हैं।

जबकि अधिकांश मामलों में राजनीतिक व धार्मिक दुराग्रह देखने को मिलते हैं। कई लोग बड़े लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर चर्चा में आने का मौका तलाश लेते हैं। निस्संदेह, पुलिस-प्रशासन की संवेदनशीलता व सत्ता की उदारता से ही अभिव्यक्ति की आजादी की गरिमा रक्षित होगी। इसके अलावा महत्वपूर्ण यह भी है कि जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हम अपनी अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा के प्रति सचेत रहें। हमारी उदासीनता समाज में निहित स्वार्थी तत्वों को मनमानी का अवसर देती है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिये बनाया गया जनता का दबाव सत्ता व पुलिस-प्रशासन को मनमानी करने से रोकता है।

ऋषि एवं आश्रिता मुगल शासक हमारे आदर्द कैसे

ललित गर्ग

समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल ला दिया है एवं देश के बहुसंघ्य समाज की भावनाओं को आहत किया है। भारत में आज भी एक ऐसा वर्ग है जो इस्लामिक कट्टरत के साथ जुड़ने में गर्व एवं गौरव की अनुभूति करता है, भले ही इससे देश की एकता एवं अखण्डता क्षत-विक्षत होती हो। इस्लाम के नाम पर

जिसने हजारों दिन मर्दियों को ध्वस्त किया, तलवार की नोक पर बड़ी संत्वय में लोगों को जबरन मुसलमान बनाया, ऐसे झ्रूर एवं सांप्रदायिक शासक औरंगजेब को नेकदिल और महान शासक बताना, आखिर किस तरह की सोच है? भारत के अतीत को जगन्न्य अपराधी, कट्टरतावादी सोच एवं यातनाओं से संचिने वाले मुगल शासकों के परित यह कैसा सोह एवं ममत्व है।

फिल्म 'छावा' कोरी फिल्म ही नहीं, हिन्दुओं से संगठित करने का अभियान है, जिसने औरंगजेब के क्रूर एवं बर्बर चरित्र को प्रस्तुत किया है, यह फिल्म मराठा साम्राज्य के दूसरे इसक और छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे भाजी महाराज की जिंदगी पर आधारित है। गाल बादशाह औरंगजेब की क्रूरता, अत्यधिक वंश यातनाएं एक बार फिर बॉलीवुड की फिल्म छावा के कारण सुरिखियों में है। इस बार मामले का एक अर्फ इतिहास के पत्रों तक सीमित नहीं है बल्कि

अतात का जघन्य अंगराधा, कट्टूतावादा सूच एवं
यातनाओं से सींचने वाले मुगल शासकों के प्रति
यह कैसा मोह एवं ममत्व है? हिन्दू धर्म एवं
संस्कृति पर आक्रमण करने वाले हमारे आदर्श कैसे

रहा है। अफलम् 'छावा' कारो अफलम् हा नहा
हिन्दुओं को संगठित करने का अभियान है, जिसका
औरंगजेब के क्रूर एवं बर्बर चरित्र को प्रस्तुत किया
है, यह फिल्म मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक और

आरगंजब ने छलपूवक 1689 में क्रूरता से मरवा दिया था, जिसे फिल्म में भावनात्मक ढांग से पेश करने की सफल एवं सार्थक कोशिश हुई है। इस फिल्म में समाजवादी पार्टी के नेता और महाराष्ट्र विधायक अबू आजमी ने इतिहास को गलत ढंग से पेश करने का आरोप लगाते हुए औरंगजेब की तारीफ करके विवाद को और हवा दे दी। आजमी ने कहा, औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था। उसने कई मंदिर बनवाए और उसके शासन में भारत सोने की चिड़िया था। आजमी ने यह भी दावा किया कि औरंगजेब और संभाजी के बीच की लड़ाई धार्मिक नहीं, बल्कि सत्ता की थी। इस तरह मुगल आक्रांताओं की तारीफ करना सपा के डीएनए में है। हो सकता है आजमी का यह औरंगजेब प्रेम एवं मुस्लिम कट्टरवादी सोच हो, लेकिन औरंगजेब ने संभाजी महाराज को 40 दिनों तक जो यातनाएं दीं, वह क्या थी? उनकी आंखें निकाली गईं, जीभ काटी गई, उनके शरीर को लहूलुहान करके उस पर नमक छिड़का और फिर उनकी हत्या कर दी गई, इस तरह क्रूरता एवं बर्बरता बरतने वाले शासक को कैसे आदर्श कहा जाये? असंख्य महिलाओं एवं बच्चों पर अत्याचार करना, जबरन धर्म परिवर्तन करना, हिन्दू मन्दिरों को तोड़ना, देश की समुद्धि का गलत उपयोग करना कैसे प्रेरणास्पद हो सकता है आरगंजब पात राज्या, राजपूताना आर मराठाओं द्वारा शासकों के परिवारों का अपहरण कर लेता था और उन्हें बंधक बना लेता था। ताकि वह निर्विरोध शासन करते हुए सम्पूर्ण भारत पर आधिपत्य कर सके। उसने सभी गैर-मुस्लिम प्रजा और पोता राज्यों से धार्मिक असहिष्णुता कर ज़ज़िया वसूला औरंगजेब एक असहिष्णु, क्रूर एवं कट्टरपंथी था और उसकी कट्टरता के कारण करोड़ों लोगों को कष्ट सहना पड़ा। शार्पिं और बहुसंस्कृतिवाद की भूमि भारत में ऐसे अत्याचारी को आदर्श नहीं बनाया जाना चाहिए। यह पहली बार नहीं है जब औरंगजेब जैसे मुगल शासकों के प्रति प्रेम का प्रदर्शन उमड़ा हो, जब दिल्ली की एक सड़क का नाम औरंगजेब रोड से बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया था, तब भी बहुत हाय-तौबा मचाई गयी थी। उस समय भी अनेक लोगों ने औरंगजेब को महान शासक बताया था जबकि इतिहासकारों ने भी दर्ज किया है छल से छत्रपति संभाजी को पकड़ने के बाद औरंगजेब ने अत्याचार एवं अमानवीयता की सभी हृद पार करते हुए जुल्म किए। औरंगजेब छत्रपति संभाजी को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर कर रहा था लेकिन छत्रपति ने सब प्रकार के कष्ट सहे लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया।



हो सकते हैं? भारत की सांस्कृतिक विरासत एवं समृद्धि को कुचलने वाले महान् शासक कैसे हो सकता है? इन प्रश्नों को लेकर देशभर में छिड़ी बहस हमें आत्मावलोकन एवं मन्थन का अवसर दे छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे संभाज महाराज की जिंदगी पर आधारित है। फिल्म संभाजी के साहस, बलिदान और औरंगजेब वे अत्याचारों को दिखाया गया है। संभाजी का

